कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क.रा.बी.नि.
ESIC
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
सत्यमेव जयते
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली
क.रा. बी. निगम औषधालय सह निदान केंद्र परिसर
मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली-110091
DIRECTORATE (MEDICAL) DELHI
ESIC Dispensary-cum-Diagnostic Centre Complex
Mayur Vihar Phase-1, New Delhi-110091
Email:- dir-med.dl@esic.nic.in

संख्या/No:डीएमए.50/11/3/2023/टि.आ/ रा.भा. दिनांक: 22.04.2026

परिपत्र/Circular

विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना।
Subject : Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works.

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना क.रा.बी.निगम में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। "क" व "ख" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 20000 (बीस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी तथा "ग" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 10000 (दस हजार) हिंदी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिए पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निगम इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित 10 पुरस्कारों का प्रावधान है-

Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works initiated by Government of India is also applicable in E.S.I. Corporation. This scheme is based on financial year. Officers/employees who write minimum 20000 (twenty thousand) Hindi words in region "A" and "B" during the financial year and Officers/employees who write minimum 10000 (ten thousand) Hindi words in region "C" during the financial year are eligible to apply under this scheme. There is a provision of following 10 prizes for the officers/employees of each corporation unit under the scheme -

क्र.सं./S.No.	पुरस्कार/Prize	पुरस्कारों की संख्या/Number of prizes	पुरस्कार राशि/Prize amount (₹)
1.	प्रथम/First	02	5000/- प्रत्येक/each
2.	द्वितीय/Second	03	3000/- प्रत्येक/each
3.	तृतीय/Third	05	2000/- प्रत्येक/each

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिभागिता हेतु निम्नलिखित विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित है -
The record in the following prescribed proforma is required to be maintained for participation under this scheme -

वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले टिप्पण-आलेखन के रिकॉर्ड का प्रोफॉर्मा
Proforma of the record of the noting-drafting to be done by the officers/employees during the year

योजना अवधि/Scheme period : ___________

आवेदक का नाम/Name of the applicant :
पदनाम/Designation :
कर्मचारी संख्या/Employee number :

मातृभाषा/Mother tongue :

क्र.सं. S.No.	तिथि Date	हिंदी में किए गए कार्य की फाइल एवं रजिस्टर संख्या File and Register no. of Hindi work	हिंदी में लिखे टिप्पण/आलेखन के शब्दों की संख्या No. of words in Hindi noting/drafting	हिंदी में किए गए अन्य कार्य Other works in Hindi		नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार) Signature of controlling authority (Once in a week)
				विवरण Details	शब्दों की संख्या No. of words	

प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति द्वारा 70% अंक हिंदी कार्य की मात्रा के आधार पर तथा शेष 30% अंक विचारों की स्पष्टता, आवेदन के साथ संलग्न रिकॉर्ड की रूपरेखा, संलग्न नमूनों व रिकॉर्ड में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण, टिप्पण की गुणवत्ता, कार्य की प्रकृति, वर्तनी, हिंदी शब्दावली का प्रयोग, टिप्पण-आलेखन की विविधता आदि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिए जाएंगे। अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

For the evaluation of the applications, committee will award 70% marks on the basis of the quantity of Hindi work and remaining 30% marks will be awarded on the basis of comparative study of the clarity of thoughts, format of the record attached with the application, inspection of the samples attached and documents quoted in the record, quality of noting, nature of work, grammar, use of Hindi vocabulary, variety in noting-drafting etc. Other terms and conditions will be as per instructions issued from time to time.

जो अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2025-26 में इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के इच्छुक हैं और जिन्होंने उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप उक्त अवधि से संबंधित अपना रिकॉर्ड रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने रिकॉर्ड सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली की राजभाषा शाखा को 29 मई 2026 तक अवश्य भेज दें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Those officers/employees who are willing to participate in this incentive scheme in the year 2025-26 and who have maintained their records related to the said period in accordance with the above instructions are requested to submit their record countersigned by controlling authority in the official language branch of Directorate (M) Delhi upto 29 May 2026. The applications received after the last date will not be considered.

वर्ष 2026-27 में भाग लेने के इच्छुक कार्मिकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप अपना रिकॉर्ड रखें।

The employees willing to participate in 2026-27 are requested to maintain their record as per above instructions.

कृपया इसे सभी अधीनस्थों/सहकर्मियों के संज्ञान में लाएं।
Please bring it to the notice of all the subordinates and colleagues.

इसे कार्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This is being issued with the approval of the Head of the office.

अनुलग्नक/Enclouser: मुख्यालय से जारी पत्र/letter issued by Hqrs.

Digitally signed by
Anwer Ali
Date: 24-04-2026
11:18:45

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि/Copy To :-

1. महानिदेशक(राजभाषा), क॰रा॰बी॰ निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ/ Director General (OL), ESI Corporation, Panchdeep Bhavan, CIG Marg/New Delhi for information.
2. प्रधान निजी सचिव, निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ Principal Private Secretary, Director (Medical) Delhi, Directorate (Medical) Delhi.
3. सभी अधिकारी / सभी शाखाएं, निदेशालय (चि.) दिल्ली /All Officers/All Branches, Directorate (M) Delhi.
4. सभी प्र.बी.चि.अधिकारी, क.रा.बी.औषधालय, दिल्ली/नई दिल्ली All IMO I/c, E.S.I. Dispensary, Delhi/New Delhi.
5. ओ.एस.डी.,आई.टी. कक्ष को निदेशालय (चि.) दिल्ली की वेबसाट पर अपलोड करने हेतु/ O.S.D., I.T. cell for uploading on the website of Directorate (M) Delhi.